न्यायालय :–द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बैतूल (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारीः–सुरेश यादव)

Registration - No.	27/2023
Filing No.	1102/2023
CNR No.	MP4801-007776/2023
Filing Date	09-10-2023

1. मोनिका पंवार, पति स्व. कुणाल पंवार (पठारे),
उम्र 29 वर्ष,
2. इवान पंवार, पिता स्व. कुणाल पंवार, उम्र 2 वर्ष,
नाबालिक वली मां, दोनों निवासी हाउसिंग बोर्ड
कालोनी गंज बैतूल, तह. व जिला बैतूल म.प्र.

.....**आवेदकगण**

विरूद्ध

1. अशोक पंवार, पिता नामालूम, उम्र 55 वर्ष,
निवासी वार्ड नं. 17डी कारगिल चौक तलैया
काम्पलेक्स भगतसिंह वार्ड बैतूल, तह. व जिला बैतूल
2. प्रबंधक आईसीआईसीआई प्रुडेंशल लाईफ इंश्योरेंस
कंपनी वर्तमान पता कॉलेज रोड़ बैतूल,
तहसील व जिला बैतूल म.प्र.
3. सर्वसाधारण जिला बैतूल म.प्र.
4. नौसा बाई पत्नि अशोक पंवार, उम्र 55 वर्ष,
निवासी वार्ड नं. 17डी कारगिल चौक तलैया
काम्पलेक्स भगतसिंह वार्ड बैतूल, तह. व जिला बैतूल

.....**अनावेदकगण**

आवेदकगण द्वाराः–श्री राघवेन्द्र रघुवंशी अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक–1, 4 द्वारा श्री ए.के. हजारे अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक–2 द्वारा श्री रामकिशोर बोरबन अधिवक्ता।
अनावेदक कमांक–3 अनुपस्थित। पूर्व से एकपक्षीय।

17/12/24

सुरेश यादव
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,
बैतूल, जिला - बैतूल (म.प्र.)

–: आदेश :–

(आज दिनांक–17 / 12 / 2024 को पारित)

01. इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम 1 व 2 सीपीसी. आई.ए.नंबर 2 / 23 का निराकरण किया जा रहा है।

02. प्रस्तुत आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदकगण की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदिका क्र.1 मृतक कुणाल पंवार की पत्नि तथा आवेदक क्र. 2 मृतक का पुत्र है। मृतक के द्वारा उसके विवाह के पूर्व अनावेदक क्र.2 से जीवन बीमा पॉलिसी ली गई थी जिसमें नॉमिनी मृतक के पिता अर्थात् अनावेदक क्र.1 अशोक पंवावर को बनाया गया था। विवाह के उपरांत नॉमिनी का नाम परिवर्तित करने का मृतक द्वारा प्रयास किया गया, किन्तु अनावेदक क्र.2 के द्वारा कहा गया कि पॉलिसी में नॉमिनी का नाम बदला नहीं जा सकता है।

03. आवेदन पत्र के अनुसार मृतक कुणाल पंवार की मृत्यु दिनांक–10. 08.2023 को सड़क दुर्घटना में हुई है। मृतक के फोन एवं जरूरी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुये अनावेदक क्र.1 द्वारा अनावेदक क्र.2 से बीमा की राशि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि अनावेदक क्र.1 को उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यदि उक्त राशि अनावेदक क्र.1 प्राप्त कर लेता है तो दावा प्रस्तुत करने का आशय विफल हो जायेगा। उक्त आधार पर अनावेदक क्र.2 को उक्त इंश्योरेंस भुगतान किये जाने से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक रोकने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

04. अनावेदक क्र.1 के द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुये आवेदन पत्र का विरोध किया गया तथा प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में नहीं होना व्यक्त करते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

05. अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुये मौखिक रूप से यह प्रकट किया गया कि दिनांक–31.10.2023 को उक्त इंश्योरेंस की राशि मृतक के नॉमिनी को विधिवत् अदा किया जा चुका है। उक्त आधार पर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

06. आवेदकगण के इस आवेदन को निराकृत करने हेतु उसे अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के सुस्थापित अद्योलिखित तीन मापदण्डों पर परखा जाना आवश्यक है :–

1. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष में बनता है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है ?

17-12-24

सुरेश यादव
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी,
बैतूल, जिला - बैतूल (म.प्र.)

3. क्या आवेदन स्वीकार नहीं करने पर आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है ?

– सकारण निष्कर्ष –

विचारणीय बिन्दु क. 01 लगायत 03 की सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष

07. हस्तगत आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदकगण के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अनावेदक क्र.2 इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मृतक स्व. कुणाल पंवार के बीमा की राशि उसके नॉमिनी/पिता अशोक पंवार अनावेदक क्र.1 को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अदा किये जाने से रोक लगाई जावें, किन्तु अनावेदक क्र.2 के द्वारा अनावेदक क्र.1 को विधिवत् उक्त राशि नॉमिनी होने के आधार पर दिनांक–31.10.2023 को ही अदा किया जा चुका है। दिनांक–31.10.2023 को अथवा उसके पूर्व अनावेदक क्र.2 को उक्त राशि अदायगी से निषेधित करने संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में अनावेदक क्र.2 द्वारा मृतक की नॉमिनी को उक्त राशि अदा करने हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र था।

08. जहां एक ओर आवेदकगण की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक–31.10.2023 को अनावेदक क्र.1 को बीमा राशि प्रदान की जा चुकी है वहीं दूसरी ओर उक्त राशि अनावेदक क्र.2 के द्वारा अनावेदक क्र.1 को भुगतान कर दिये जाने के उपरांत अनावेदक क्र.2 को उक्त राशि के भुगतान से निषेधित करने संबंधी निवेदन औचित्यहीन हो गया है जिसको दृष्टिगत रखते हुये आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है।

09. उक्त आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते हुये आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति संबंधी बिन्दू नहीं होना पाया जाता है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश–39 नियम 1 व 2 सीपीसी. (आई.ए.नं. 2/23) सी.पी.सी. **निरस्त** किया जाता हैं।

10. इस आदेश के परिणाम का कोई प्रभाव प्रकरण के गुणदोष पर किये जाने वाले निराकरण पर नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया ।

17-12-24

(सुरेश यादव)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
बैतूल (म0प्र0)

सुरेश यादव
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,
बैतूल, जिला - बैतूल (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

17/12/24

(सुरेश यादव)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
बैतूल (म0प्र0)

सुरेश यादव
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,
बैतूल, जिला - बैतूल (म.प्र.)